I/125945/2023

ई फाइल संख्या– 41146

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

2– उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
मसूरी देहरादून/हरिद्वार रूड़की।

आवास अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 30 मई, 2023

विषय: राज्य के विभिन्न स्थलों पर टनल/कैविटी/मल्टी स्टोरी/सरफेस पार्किंग/ऑटोमेटेड/मैकेनिकल कार पार्किंग निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आवास विभाग के शासनादेश संख्याः I/47735/2022 दिनांकः 06.07.2022, शासनादेश संख्याः I/54061/2022 दिनांकः 02.08.2022 **(छायाप्रति संलग्न)**का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पार्किंग परियोजनाओं हेतु प्रेषित आगणनों में निर्धारित सूचना की अनिवार्यता के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

2– उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेशों में निर्देशित किया गया है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 474 दिनांकः 01.08.2019 में दिए दिशा–निर्देशानुसार पार्किंग परियोजनाओं हेतु गठित आगणन में परिशिष्ट–'क' एवं परिशिष्ट–'ख' की सूचना एवं अन्य उल्लिखित सूचना के साथ प्रेषित किए जायें तथा शासनादेश दिनांकः 02.08.2022 में दिए गए कतिपय निर्देशों के साथ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पार्किंग परियोजनाओं हेतु गठित आगणन को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाय।

3– राज्य में वाहन पार्किंगों के निर्माण में तीव्रता लाने हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में Traffic planner की नियुक्ति की गयी है।

4– अवगत कराना है कि प्राधिकरणों द्वारा उक्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित न करते हुए अधिकांश आगणन परिशिष्ट–'क' एवं परिशिष्ट–'ख' की सूचना व अन्य वांछित सूचना के बिना ही सीधे शासन को प्रेषित किए जा रहें। जिस कारण सूचना उपलब्ध न होने से पार्किंग परियोजना की स्वीकृति की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब होता है। शासन के उक्त निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की यह स्थिति संतोषजनक नहीं है।

5– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पार्किंग परियोजनाओं हेतु गठित आगणन में शासनादेश संख्याः I/47735/2022 दिनांकः 06.07.2022, शासनादेश संख्याः I/54061/2022 दिनांकः 02.08.2022 के क्रम में सूचना अनिवार्य रूप से संलग्न करते हुए आगणन उत्तराखण्ड आवास एवं विकास प्राधिकरण, देहरादून के माध्यम से शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यदि उक्त प्रदत्त निर्देशानुसार/प्रक्रियानुसार पार्किंग परियोजना के आगणन शासन को प्रेषित नहीं किए जाऐंगे तो उस स्थिति में पार्किंग हेतु

45/2023

गठित आगणन का संज्ञान नहीं लिया जायेगा, जिसके लिये संबंधित प्राधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगें।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Anand Bardhan
Date: 30-05-2023 12:16:50

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रेषित पार्किंग परियोजना हेतु गठित आगणन का परीक्षण करते हुये तथा Traffic planner का मंतव्य/टिप्पणी अंकित करते हुए आगणन शासन को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

संख्या— — /V—2—2022

प्रेषक,

सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1—उपाध्यक्ष,
मसूरी—देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

2— उपाध्यक्ष,
हरिद्वार—रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

3—उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।

4— समस्त जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

आवास अनुभाग—2 देहरादून, दिनांक 06 जुलाई, 2022

विषयः—राज्य में विभिन्न स्थलों में टनल/कैविटी/मल्टी स्टोरी/सरफेस पार्किंग/ऑटोमेटेड कार पार्किंग निर्माण हेतु आगणनों के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में टनल/कैविटी/मल्टी स्टोरी/सरफेस/ऑटोमेटेड कार पार्किंग निर्माण हेतु कार्यदायी संस्थाओं द्वारा गठित आगणनों के साथ वित्त विभाग के शासनादेश सं0—474/02(150)/XXVII(1)/2019, दिनांकः 01.08.2019 में दिए गये दिशा—निर्देशानुसार जिन योजनाओं/परियोजनाओं के प्रस्ताव/आगणन की लागत रू0 1.00 करोड़ से अधिक तथा रू. 5.00 करोड़ से कम हों (परिशिष्ट—'क') एवं जिन योजनाओं/परियोजनाओं के प्रस्ताव/आगणन की लागत रू0 5.00 करोड़ से अधिक हों, (परिशिष्ट—'ख') के साथ—साथ निम्नलिखित बिन्दुओं की सूचना आगणन के साथ शासन को उपलब्ध कराया जाना हैः—

1— <u>जिन योजनाओं/परियोजनाओं के प्रस्ताव/आगणन की लागत रू0 1.00 करोड़ से अधिक तथा रू. 5.00 करोड़ से कम हों, (परिशिष्ट—'क' के बिन्दु)</u>

(1) क्या प्रस्तावित योजना पूर्व से चली आ रही किसी योजना की पुनरावृति (Duplication) तो नहीं है। ?

(2) योजना के क्या उद्देश्य है? उन समस्याओं का विविरण जिनका परियोजना/ योजना से समाधान होगा ?

(3) योजना के लक्षित लाभार्थी (Target Beneficiaries) कौन होगें ?

(4) योजना से सम्भावित सामाजिक लागत लाभों का क्या अंकलान (Social Cost benefit analysis) है ?

(5) यदि योजना एकमुश्त (Lumpsum) प्राविधान के अन्तर्गत आती है तो क्या ऐसी योजनाओं के चयन के आधार/मानक बना लिये गये है ?

(6) क्या परियोजना के लिये बाह्य सहायतित (EAP) परियोजना केन्द्र सहायतित

Generated from eOffice by RAGHBENDRA SINGH RANA, RO-RSR, REVIEW OFFICER, Aawas Department on 06/07/2022 10:35 AM

परियोजना (CSS) से पोषण सम्भव नहीं है ?

(7) क्या योजना Public good अथ्वा Merit good प्रकृति की है ?

(8) क्या योजना के आउटपुट/आउटकम के मानक तय कर लिये गये है जिससे योजना के Evaluation के समय कोई भ्रम/संशय न रहे तथा success criteria स्पष्ट रूप से ज्ञात हो।

(9) क्या योजना के स्वतंत्र evaluation/ monitoring की व्यवस्था बनायी गयी है ?

(10) क्या योजना में एक बार का (one time) व्यय निहित है ? क्या भविष्य के लिये राजस्व व्यय का दायित्व तो सृजित नहीं हो रहा है। ऐसी योजनाओं को हत्तोत्साहित (discourage) किया जाना चाहिये, जिनके कियान्वयन के शासन के सीमित संसाधनों पर स्टाफ आदि का अनावश्यक भार पड़ता है।

(11) क्या योजना को पी0पी0पी0 मोड में संचालित किया जा सकता है ? यदि योजना पी0पी0पी0 मोड में चलायी जा सकती है अथवा व्यवसायिक प्रकृति की है तो ऐसी योजनाओं पर सटाफ आदि का सामान्यतः नही लिया जाना चाहिये।

(12) क्या योजना के सफल कियान्वयन हेतु आपरेशनल दिशा निर्देश तैयार कर लिये गये है? यदि नहीं, तो कब तक तैयार कर लिये जायेगें ?

2– <u>जिन योजनाओं/परियोजनाओं के प्रस्ताव/आगणन की लागत रू0 5.00 करोड से अधिक हों, में निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध करायें:–(परिशिष्ट–'ख' के बिन्दु)</u>

(क) योजना/प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण तथा भूमिका (Context/Back ground)
(ख) समस्यायें जिनका परियोजना से समाधान होगा। (Problems to be Addressed)
(ग) योजना के उद्देश (Project obejectives)
(घ) लक्षित लाभार्थी (Target Beneficiaries)
(ड़) परियोजना की युद्धनीति (Project strategy)
(च) विधिक संरचना। (Legal Framework)
(छ) पर्यावरणीय प्रभाव (Environmental impact assessment)
(ज) Ongoing initiatives
(झ) तकनीकी बिन्दु (Technology issues)
(ञ) प्रबन्धकीय व्यवस्थायें (Management arrengements)
(ट) वित्तीय स्रोत तथा योजना का बजट (Means of Finance and Project Budget)
(ठ) समयसीमा (Time Frame)
(ड) जोखिम विशेलेषण (Risk Analysis)
(ढ़) मूल्यांकन (Evaluation)
(ण) सफलता का आधार (Success Criteri)
(त) वित्तीय एवं आथिक विश्लेषण (Financial and economic analysis)
(थ) सस्टेनेबिलिटी (Sustainability)

3– उक्त के अतिरिक्त आगणनों में निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी सूचना उपलब्ध करायी

Generated from eOffice by RAGHBENDRA SINGH RANA, RO-RSR, REVIEW OFFICER, Aawas Department on 06/07/2022 10:35 AM

जानी है। जो निम्नवत् है:–

1. पार्किंग स्थल की उपयोगिता (Land Feasibility)।
2. पार्किंग स्थल की Photograph ।
3. पार्किंग के निर्मित होने के पश्चात उसके संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित आय–व्यय का आंकलन तथा संचालन करने वाले विभाग/संस्था का नाम।
4. पार्किंग निर्माण कार्य हेतु मृदा परीक्षण एवं भूवैज्ञानिक तथ्यों की आख्या।
5. पार्किंग हेतु आगणन में स्ट्रक्चरल डिजाइन से संबंधित प्रमाण पत्र पर जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण एवं कार्यदायी संस्था के हस्ताक्षर।
6. आंगणन में Pert चार्ट भी संलग्न करें।

4– उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य में पार्किंग की समस्या का समाधान किये जाने के दृष्टिगत पार्किंग निर्माण हेतु प्राथमिकता दी जा रही है। विस्तृत आगणन के साथ उपर्युक्त बिन्दुओं की सूचना प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाए। यदि उपर्युक्त दिये गये बिन्दुओं में से किसी आगणन में कोई एक बिन्दु पर सूचना उपलब्ध नहीं करायी जायेगी तो उस स्थिति में उस आगणन का संज्ञान नही लिया जायेगा, जिसके लिये संबंधित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगें।

5– उक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष के माध्यम से जो आगणन पूर्व में शासन को प्रेषित किये गये है, के संबंध में उपरोक्त बिन्दुओं पर सूचना तीन दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
Signed by Surendra Narayan Pandey
Date: 05-07-2022 16:12:48
(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)
सचिव (प्रभारी)।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव, महादेय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की टनल/कैविटी/मल्टी स्टोरी/ऑटोमेटेड/सरफेस पार्किंग निर्माण हेतु जिलाधिकारी/जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों द्वारा पार्किंग निर्माण हेतु उपलब्ध आगणनों का परीक्षण करते हुए प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Arpan Kumar Raju
Date: 06-07-2022 10:27:08
(अर्पण कुमार राजू)
उप सचिव।

Generated from eOffice by RAGHBENDRA SINGH RANA, RO-RSR, REVIEW OFFICER, Aawas Department on 06/07/2022 10:35 AM

File No. HOUS2-MS/1/93/2022-V-2-Aawas Department (Computer No. 33145)
/2022
4061/2022

संख्या– /V–2–2022

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह पतियाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–**उपाध्यक्ष**,
मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

2–**उपाध्यक्ष**,
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

3–**उपाध्यक्ष**,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।

4–**समस्त जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष**,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

आवास अनुभाग–2 **देहरादून, दिनांक 02 अगस्त, 2022**

विषयः–राज्य के विभिन्न स्थलों पर टनल/कैविटी/मल्टी स्टोरी/सरफेस पार्किंग/ऑटोमेटेड/मैकेनिकल कार पार्किंग निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक् सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में टनल/कैविटी/मल्टी स्टोरी/सरफेस/ऑटोमेटेड/मैकेनिकल पार्किंग निर्माण हेतु कार्यदायी संस्थाओं द्वारा गठित आगणनों के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं की सूचना उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

1. पार्किंग के निर्मित होने के पश्चात उसके संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) हेतु विभाग/संस्था का नाम।
2. पार्किंग संचालन से अर्जित आय/राजस्व का संचालनकर्त्ता विभाग/संस्था तथा राज्य सरकार के मध्य Sharing.
3. पार्किंग संचालन हेतु संचालनकर्त्ता विभाग/संस्था तथा राज्य सरकार के जरिये जिलाधिकारी स्तर के मध्य MoU का प्रारूप।
4. पार्किंग निर्माण के संचालन तक Gant/Pert CPM चार्ट।

भवदीय,

Signed by Rajendra Singh Patiyal
Date: 02-08-2022 12:46:03 (राजेन्द्र सिंह पतियाल)
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव, महादेय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की टनल/कैविटी/मल्टी स्टोरी/ऑटोमेटेड

Generated from eOffice by RAGHBENDRA SINGH RANA, RO-RSR, REVIEW OFFICER, Aawas Department on 02/08/2022 03:10 PM

/सरफेस/मैकेनिकल पार्किंग निर्माण हेतु समस्त जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड से समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्त सूचना शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3. गार्ड फाईल।

Generated from eOffice by RAGHBENDRA SINGH RANA, RO RSR, REVIEW OFFICER, Aawas Department on 02/08/2022 03:10 PM